275

बिहार राज्य आवास बोर्ड

6, सरदार पटेल मार्ग, पटना–800015

दूरभाष संख्या–0612–2217992, 2217315

महत्वपूर्ण सूचना

बिहार राज्य आवास बोर्ड द्वारा निर्मित आवासीय कॉलोनी में आवंटित भूखंडों के एकरारनामा प्रपत्र की कंडिका–12 में निहित है कि :–

" That the settlee shall start construction within two years of having been put in possession of this plot of land and complete construction up to the ground floor within a further period of three years".

एकरारनामा की उक्त कंडिका के आलोक में आवंटित भूखंडों पर ससमय निर्माण नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द किया जाना है।

उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश पारित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में बोर्ड की 253वीं बैठक, दिनांक–27.02.17 की अंगीकृत कार्यावली संख्या–5 में लिये गये निर्णय के आलोक में समय–सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्य नहीं करनेवाले आवंटियों को दण्ड–शुल्क जमा कर निर्माण कार्य करने हेतु अंतिम मौका दिया जाता है।

दण्ड–शुल्क का दर निम्नवत् है :–

क्रम सं0	श्रेणी	प्रतिशत
(क)	व्यवसायिक भूखंड	10
(ख)	आवासीय–सह–व्यवसायिक	10
(ग)	उच्च आय वर्गीय भूखंड	8
(घ)	मध्यम आय वर्गीय भूखंड	6
(ङ)	अल्प आय वर्गीय भूखंड	4
(च)	कमजोर आय वर्गीय भूखंड	2

दण्ड–शुल्क की राशि जमा करने की अवधि सीमा 31 दिसम्बर, 2017 तक होगी।

1 जनवरी, 2018 के बाद ऐसे सभी भुखंडों का आवंटन, जिसमें एकरारनामा के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए ससमय निर्माण नहीं किया गया है, रद्द कर दिया जाएगा।

ह0/- 31/4/17

सचिव

बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना।